भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2872

दिनांक 08.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पेयजल आपूर्ति हेतु निधि

2872. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र राज्य के लिए पेयजल आपूर्ति हेतु जिले-वार कोई निधि आवंटित की गई है अथवा आवंटित किए जाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई राज्यों के लिए पेयजल आपूर्ति से संबंधित कुछ योजनाएं केन्द्र सरकार के विचाराधीन हैं/लंबित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त योजनाओं को स्वीकृति देने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) देश में पेयजल की समस्या के समाधान के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति

(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति के लिए आबंटित, जारी और महाराष्ट्र द्वारा उपयोग की गई निधियों का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार है

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष	केन्द्रीय हिस्सा					राज्य के हिस्से के तहत व्यय
	अथशेष	बजट आबंटन	राज्य द्वारा आहरित निधि	कुल उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2021-22	268.99	7,064.41	1,666.64	1,935.63	377.98	477.98
2022-23	1,557.65	7,831.25	3,915.62	5,473.27	3,109.53	2,972.12
2023-24	2,363.74	21,465.88	7,444.26	9808.00	8,208.53	8,371.34

आबंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों से संबंधित जिले-वार सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

(ग) से (ङ) पेयजल राज्य का विषय है। पेयजल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन एवं कार्यान्वयन की शक्ति महाराष्ट्र सहित राज्य सरकार के पास है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। अतः ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए अलग-अलग परियोजनाएं/योजनाएं भारत सरकार के स्तर पर अनुमोदित नहीं की जाती हैं।

(च) भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने हेतु महाराष्ट्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी में अगस्त 2019 से जल जीवन मिशन का कार्यान्वयन कर रही है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत, गांव में जल आपूर्ति अवसंरचना के सृजन के अलावा पेयजल स्रोतों के विकास/सुदृढ़ीकरण/संवर्धन हेतु और जल कमी वाले सूखा प्रवण क्षेत्र तथा विश्वसनीय भू-जल स्रोतों से रहित मरूभूमि क्षेत्रों में जल के थोक अंतरण हेतु अवसंरचना, शोधन और संवितरण प्रणालियों के लिए प्रावधान किए गए हैं।

इसके अलावा, ग्रामीण स्तर पर अन्य योजनाओं जैसे मनरेगा, आरएलबी/पीआरआई को 15वें वित्त आयोग से सशर्त अनुदान, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), राज्य की योजनाएं, जिला खनिज विकास कोष, सीएसआर निधि, सामुदायिक योगदान आदि के सामंजस्य में स्थानीय पेयजल स्रोतों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के प्रावधानों की भी जेजेएम के तहत परिकल्पना की गई है।
